

पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

(पूर्व नाम- छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय)

जी. ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)

(छ.ग. अधिनियम क्र. 21/2008 द्वारा स्थापित)

दूरभाष / फ़ैक्स: 0771 2263234

ई-मेल: healthuniversitycg@yahoo.com



क्रमांक/ 1103 / D.U.H.S./गोप./2018


रायपुर, दिनांक 24/4 /2018

//अधिसूचना//

अनुचित साधन समिति की बैठक दिनांक 17.04.2018 के निर्णयानुसार - निम्नलिखित अनुचित साधन प्रकरण रेगुलेशन 10 के बिन्दु क्रमांक 04 की श्रेणी में दंड योग्य है। इन्हें "The cancellation of Examination and the examinee be debarred from appearing at the next full examination ." निम्नलिखित छात्रों की वर्तमान परीक्षा को निरस्त कर आगामी दो परीक्षाओं से वंचित किया जाता है।

अनुक्रमांक	परीक्षा का नाम	छात्र/छात्रा का नाम	परीक्षा केन्द्र का नाम	महाविद्यालय का नाम
140194	बी.डी.एस.चतुर्थ वर्ष परीक्षा सितं.-2017 (आर्थोडॉण्टिक्स)	साहिल टी.एस.	भारती आयुर्वेद महाविद्यालय, दुर्ग	रूंगटा कालेज ऑफ डेंटल साइंस एंड रिसर्च, दुर्ग

आदेशानुसार




कुलसचिव

पृ. क्रमांक/ 630 / D.U.H.S./गोप./2018

रायपुर, दिनांक 24/04 /2018

प्रतिलिपि :

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन रायपुर (छ.ग.) ।
2. कुलपति महोदय के निज सहायक पं.दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. कुलसचिव, छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय को सूचनार्थ ।
4. प्राचार्य संबंधित महाविद्यालय का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. संबंधित छात्रों द्वारा प्राचार्य, रूंगटा कालेज ऑफ डेंटल साइंस एंड रिसर्च, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. परीक्षा विभाग/आई.टी.शाखा पं.दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
7. उक्त परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाईट [Website: www.cghealthuniv.com](http://www.cghealthuniv.com) से भी प्राप्त किया जा सकता है ।



कुलसचिव